[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना


नई दिल्ली, तारीख 24 फरवरी, 2015

सा.का.नि.....(अ) - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 396, धारा 398, धारा 399, धारा 403 और धारा 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) संशोधन नियम, 2015 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (क) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के नियम 10 के उपनियम (6) के पश्चात् उपनियम (7) अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् -

"7 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास इलेक्ट्रोनिक रीति से फाइल किए गए आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज के संबंध में मांगी गई कोई अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज प्ररूप संख्या जीएनएल - 4 में परिशिष्ट के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।"

(ख) उपाबंध में, प्ररूप संख्या जीएनएल 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-



प्ररूप सं. जीएनएल-4

[कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के नियम 10(7) के अनुसरण में]



त्रुटियों या अपूर्णताओं के सुधार के लिए परिशिष्ट फाइल करने का प्ररूप

प्ररूप की भाषा o अंग्रेजी o हिन्दी

टिप्पण- 'चिन्हित सभी भरी किया जाना आज्ञापक हैं।

1. *संगत प्ररूप (प्ररूपों) की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) (पूर्व भरा हुआ)
(जिस प्ररूप के संबंध में परिशिष्ट फाइल किया जा रहा है उसके एसआरएन का उल्लेख करें।
सुनिश्चित करें कि इस फील्ड में सही एसआरएन उल्लिखित हो और प्रणाली द्वारा नीचे दर्शाए
गए ब्यौरों से सत्यापित करें)
2.(क) *एसआरएन की तारीख(दिन/मास/वर्ष)
(ख) प्ररूप संख्या
3(क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) (पूर्व भरा हुआ)
या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफसीआरएन)
(ख) कंपनी की वैश्विक प्रस्थिति संख्या (जीएलएन)
4. (क) कंपनी का नाम
(ख) कंपनी की भारत में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रमुख व्यवसाय स्थान का पता
(ग) इस प्ररूप को फाइल करने वाले व्यक्ति का नाम (गैर कंपनी या अभी तक निगमित
नहीं की गई कंपनी के संबंध में फाइलिंग के मामले में लागू)
(घ) ई-मेल आईडी
5. (क) कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बताई गई त्रुटियों
या मांगी गई और सूचना के ब्यौरे



(ख) *त्रुटियों के सुधार या उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त सूचना के ब्यौरे
6. (क) अतिरिक्त (विशेष) स्टाम्प शुल्क संदाय का एसआरएन (पूर्व भरा हुआ)
अतिरिक्त (विशेष) स्टाम्प शुल्क के ब्यौरे
(ख) (i) स्टाम्प शुल्क की रकम दस्तावेज का नाम
(ii) स्टाम्प शुल्क की रकम दस्तावेज का नाम
(iii) स्टाम्प शुल्क की रकम दस्तावेज का नाम
(यह सुनिश्चित करें कि नीचे ड्रापडाउन में दिए गए दस्तावेजों की की सूची सही प्रकार के
दस्तावेज का चयन किया जाए। अधिकतम पांच दस्तावेज संलग्न किए जा सकते हैं)
7. (क) दस्तावेज का प्रकार (संलग्न करें)
(ख) दस्तावेज का प्रकार (संलग्न करें)
(ग) दस्तावेज का प्रकार (संलग्न करें)
(घ) दस्तावेज का प्रकार (संलग्न करें)
(इ.) दस्तावेज का प्रकार (संलग्न करें)
संलग्नकों की सूची
संलग्नक हटाएं

31×12×14

सत्यापन

मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन और इसके संलग्नकों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है।

अंकीय हस्ताक्षर किया जाए

1. निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वित्तीय
अधिकारी या सचिव (भारतीय कंपनी के मामले में) या कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि (विदेशी कंपनी
के मामले में)
पदनाम
निदेशक या प्रबंध निदेशक की निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन);
या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या प्राधिकृत प्रतिनिधि का
आयकर पैन; या सचिव की सदस्यता संख्या, यदि लागू हो या
आयकर पैन (किसी कंपनी का कोई सचिव जो आईसीएसआई का सदस्य नहीं है, अपना
आयकर पैन दे सकता है)
2. निदेशक या प्रबंध निदेशक
पदनाम
निदेशक या प्रबंध निदेशक का डीआईएन
3. यदि जिस प्ररूप के संबंध में परिशिष्ट फाइल किया जा रहा है उस पर आवेदक या अभिदाता
या वकील या न्यायवादी या प्लीडर या प्रभारी व्यक्ति या प्रभारधारक या एआरसी या
समनुदेशिती या न्यासी या प्रतिभूतिधारक या प्राप्तकर्ता या नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति या
लेखापरीक्षक या समापक या लागत लेखापरीक्षक या चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायिक)
या कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायिक) या लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायिक) या
किसी अन्य द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो
l. पदनाम

क्षमता

II. पदनाम

III. पदनाम



यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने ऊपर उल्लिखित विवरणों (संलग्नक सहित) का अभिलेखों से सत्यापन कर लिया है और उन्हें सत्य एवं सही पाया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सभी अपेक्षित संलग्नक इस प्ररूप के पूर्णतया संलग्न किए गए हैं।

- ० चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायिक) या
- लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायिक) या
- कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायिक)
 क्या सहयुक्त है या अध्येता О सहयुक्त О अध्येता

सदस्यता संख्या या व्यवसाय प्रमाण पत्र

उपांतरित करें

जांच करें

पूर्व संवीक्षा

जमा करें

इस प्ररूप पर प्राधिकार देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है क्योंकि इसे पहले से फाइल किए गए ई-प्ररूप के संबंध में फाइल किया गया है।

[फा.सं.01/16/2013-सीएल-V(भाग-I)]

(अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.268(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि.297(अ) . तारीख 28 अप्रैल, 2014 द्वारा किया गया था।

Government of India Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi, 24th February, 2015

- G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sections 396, 398, 399, 403, and section 404, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2015.
- (2) In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014,-
- (a) in rule 10, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "7. Any further information or documents called for, in respect of application or e-form or document, filed electronically with the Ministry of Corporate Affairs shall be furnished in Form No. GNL-4 as an addendum"
- (b) in the Annexure, after Form No. GNL-3, the following Form shall be inserted, namely:-

Tahalip 24 102/18

FORM NO. GNL-4

[Pursuant to Rule 10(7) of the Companies (Registration offices and Fee) Rules, 2014]



Form for filing addendum for rectification of defects or incompleteness

Form Language	English	Hindi			
Note - All fields mar	ked in * are to be	mandatorily filled			
1.* Service request nu				Pre-fill	The second
(Mention SRN of rele in this field and verify	vant form(s) in res the system displ	spect of which adde ayed details below)	ndum is being filed.	Ensure that correct	t SRN is mentioned
2. (a) Date of SRN		(DD/N	MM/YYYY)		
(b) Form number(s	5)				
(a) Corporate ident registration nur	tity number (CIN) mber (FCRN) of th	or foreign company e company			
(b) Global location	number (GLN) of	fcompany			
4.(a) Name of the co	mpany				i i
(b) Address of the registered offic or of the princi place of busine India of the co	ce pal ess in		,	1	
incorporated)			-		r company yet to be
(d)*e-mail ID					
5. (a) Details of defe		further information	called by the Regist	rar of Companies (RoC) or any other



itial) stamp duty payment	Pre-fill	
al) stamp duty		
Document nam	ne	
Document nam	ne	
Document nam	ne	
ument is selected from the list of docume be attached).	ents given in the drop down	n below.
		Attach
	List of attachme	ents
i	Document nam	Document name Document name Document name Document name ument is selected from the list of documents given in the drop dowr

malie 24 18

Verification To the best of my/ our knowledge and belief, the information given above and in the attached documents is correct and complete. To be digitally signed by 1. Director or Managing Director or manager or CEO or CFO or secretary (In case of an Indian company) or an authorised representative (In case of a foreign company) Designation Director identification number (DIN) of the director or Managing Director; or Income-tax PAN of the manager or CEO or CFO or authorised representative; or Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary (secretary of a company who is not a member of ICSI, may quote his/ her income-tax PAN) 2. Director or Managing Director * Designation DIN of the director or Managing Director 3. In case the form in respect of which addendum is being filed was signed by applicant or subscriber or advocate or attorney or pleader or person charged or chargeholder or ARC or assignee or trustee of debenture holder or receiver or person securing appointment or auditor or liquidator or cost auditor or chartered accountant (in whole-time practice) or company secretary (in whole-time practice) or cost accountant (in whole-time practice) or others Designation Capacity Designation Designation 111. Certificate It is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the records of and found them to be true and correct. I further certify that all required attachment(s) have been completely attached to this form. Ost accountant (in whole-time practice) or Chartered accountant (in whole-time practice) or O Company secretary (in whole-time practice)

1.

11.

Whether associate or fellow

Modify

Membership number or certificate of practice

This form is not required to be signed by the authorising officer as this has been filed in respect of an already filed eForm

() Fellow

Prescrutiny

Associate

Check Form

Submit

[F.No. 01/16/2013 (Part-I) CL-V]

(Amardeep Singh Bhatia)

Joint Secretary to the Government. of India

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number. G.S.R. 268(E), dated the 31st March, 2014 and was last amended by notification vide number G.S.R 297(E), dated the 28th April, 2014.